न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / याचिका / 10 / 2008

1—श्रीमति कटोरीदेवी पत्नि श्री शांतिस्वरूप
2—कमलेश पत्नि श्री राजेश अग्रवाल
3—विपिन अग्रवाल पुत्र श्री सुरेश
4—जगदीश प्रसाद पुत्र श्री शांतिस्वरूप
5—चंचल पुत्र श्री रमनलाल

समस्त जाति वैश्य निवासीयान 28 कृष्णानगर, भरतपुर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1—परियोजना निदेशक एन.एच.डब्लू.—11 प्राधिकरण (परियोजना इकाई) दौसा
2—भूमि अवाप्ती अधिकारी ऑरियन्टल कम्पनी किलोमीटर 42525 से 63000 आगरा भरतपुर

.....अप्रार्थीगण

उपस्थितः—
1—श्री रमनलाल मित्तल अभिभाषक अपीलान्ट,
2—श्री विजय कुमार एनएच

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम

निर्णय

दिनांक 18.06.2019

प्रार्थी0 ने यह प्रार्थना पत्र याचिका पिटीशन अन्तर्गत धारा 3 जी इस आश्य का पेश किया जो संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 524 रकवा 5.34 हैक्ट0 बाके ग्राम बमनपुरा में प्रार्थी बन्दोबस्त खातेदार काश्तकार हैं। जिसका साविक खसरा नं0 321 रकवा 3 बीघा 5 बिस्वा था। जिसका हाल खसरा नं 524 रकवा 5.34 हैक्ट0 बना है। जिला कलक्टर महोदय के आदेश दिनांक 23.12.1994 के सिवायचक दर्ज करने के आदेश दे दिया था। आदेश के विरूद्व अपील राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष पेश की गई। अपील निर्णय दिनांक 20.04.96 को स्वीकार कर जिला कलक्टर भरतपुर का आदेश दिनांक 23.12.94 निरस्त कर दिया। एवं सिवायचक दर्ज का आदेश भी निरस्त कर दिया। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 23.12.1994 की पालना में सिवायचक तो दर्ज कर दिया जबकि राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 20.04.96 की सिवायचक काटकर प्राथीगण की खातेदारी दर्ज नहीं की। आवप्त की जारही खसरा नं0 524 क्षेत्रफल 4262 मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। एवं आवप्त की गई भूमि की कीमत 10,00,000 प्रति बीघा से मुआवजा राशि एवं समस्त कानूनी लाभ प्रार्थीगण प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र याचिका दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी0 की तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश किये गये जो शामिल मिसिल किये गये हैं। अप्रार्थी एन.एच. की ओर लिखित बहस भी पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि प्रार्थी ने आराजी खसरा नम्बर 321 रकवा 3 बीघा 5 बिस्वा रिकार्डेड खातेदार काश्ताकार कस्बा भरतपुर साविक खसरा नं0 को शामिल करते हुए हाल खसरा नं0 524 रकवा 5.34 ग्राम बमनपुरा के हक प्राथीगण खातेदार है। एवं केन्द्र सरकार ,भारत ने अपनी अधिसूचना दिनांक 20.08.2015 द्वारा धारा 105(3) की शक्ति Right to Fair Compensation Act 2013 का प्रयोग कर "Right to Fair Compensation Act Land Acquisition, Rehabilitition and Resettlement (Removal of Difficulties) oreder 2015 " जारी प्रभारी तारीख 01.09.2015 से Right to Fair Compensation Act 2013 की धारा 26. 27,28,29,69,72 व 80 भूमि बाजारू दर में वर्णित अधिनियमों के अन्तर्गत आवप्त की गयी भूमि के मुआवजा राशि के लाभ देय होंगे। आवप्त भूमि बजारू दर 100 प्रतिशत सांत्वना राशि 1 वर्ष के लिए 12 प्रतिशत स्पेशल मुआवजा प्लस 9 प्रतिशत एक वर्ष की ब्याज 15 प्रतिशत अवाप्ति की एक वर्ष बाद से कुल मुआवजा राशि पर तय अदायगी पर 15 प्रतिशत ब्याज देय है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि विवादित आराजी पर अप्रार्थी 1,2,3,4,5 का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होने से मुआवजा अवार्ड का भुगतान अप्रार्थी हक में जारी कर दिया है। भूमि अवाप्ती अधिकारी ने हमारी आपत्ति को खारिज कर दिया है। योग्य अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अवाप्त शुदा आराजी का मुआवजा वाणिज्यक दर से भुगतान कराये जाने के आदेश जारी करने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी. का कहना है कि उसके द्वारा प्रस्तुत जबाब को बहस ट्रीट किया जावे। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी एन.एच. ने अंकित कथनों में जाहिर किया कि सक्षम प्राधिकारी एस.डी.ओ. ने आराजी खसरा नम्बर 321 रकवा 3 बीघा 5 बिस्वा कस्बा भरतपुर एवं हाल खसरा नं0 524 रकवा 5.34 ग्राम बमनपुरा किस्म जमीन भूमि नेशनल हाईवे के विस्तार हेतु अवाप्त की गई है। एन. एच.एक्ट की धारा 3जी(7) के निर्देशों की पालना में विधिवत कार्यवाही करते हुये मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। योग्य अभिभाषक एन.एच. का यह ळी कथन है कि प्रार्थी का अवाप्त शुदा भूमि पर स्वामित्व ही नहीं है। राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी खातेदार दर्ज नहीं हैं। मुताविक राजस्व अभिलेख में दर्ज हितबद्ध खातेदारों के हक मुआवजा राशि का अवार्ड पारित किया गया है। प्रार्थी को अवार्ड को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है और नाही किसी प्रकार की अवार्ड राशि प्राप्त करने का हकदार रहता है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी के स्वामित्व निर्धारण का बिन्दू है, स्वामित्व निर्धारण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है। उनका यह भी तर्क है कि विधि के प्रावधानुसार श्रीमान को मात्र मुआवजा राशि के कम

ज्यादा के संदर्भ में ही निर्णय पारित कर सकती है। प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र याचिका खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर एवं मनन किया गया। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत जबाब, लिखित बहस का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावलियों का अवलोकन किया। तहत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी,भरतपुर) द्वारा प्रार्थी को आराजी खसरा नं 534 रकवा 5.34 हैक्टयर के अवाप्ति के संबध में आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए नोटिस क्रमांक 434 दिनांक 11.10.07 को जारी किया गया है। जो प्रार्थी की मां पर तामीलशुदा पत्रावली में संलग्न है। तहत पत्रावली आर्डरशीट दिनांक 30.10.07 में अंकित है कि ''...परिवादी पक्ष अभिभाषक उप. मान. अभिभाषक को सुना गया, परिवादी की ओर से सबूत पेश करने के लिए समय चाहा गया। पत्रावली दिनांक 3.11.07 को प्रस्तुत करें...।'' उक्त ऑडरसीट में अंकित कथनों से स्पष्ट है कि प्रार्थी को सबूत पेश करने के लिए समय दिया जाकर आगामी पेशी दिनांक 03.11.2007 नियत की गई है। नियत दिनांक 03–11–2007 को तहत न्यायालय द्वारा पत्रावली में कोई कार्यवाही अंकित नहीं करना यह दर्शाता है कि नियत दिनांक या उसके बाद प्रार्थी या उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये हैं, और पत्रावली बिना कार्यवाही के रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के पास अपने समर्थन में साक्ष्य दस्तावेजी नहीं थे। प्रार्थी द्वारा तहत न्यायालय में प्रस्तुत उज्रदारीयों को लेकर न्यायालय हाजा में चाराजोही याचिका प्रस्तुत की गई है, परन्तु याचिका में अंकित मौखिक कथनों के ताईद में कोई राजस्व अभिलेख साक्ष्य में हमारे समक्ष पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी कोई रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहता है। अस्तु प्रार्थी प्रार्थना पत्र याचिका खारिज योग्य रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी (याचिका) खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.6.2019 को सुनाया गया।

(डॉ आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर
भरतपुर